



S.D.S. Public School

The School with mission

Garhi Abdulla Khan (Shamli)

Ref. No. : SDS / मान्यता / सीमो / 2021-22

Dated 23/3/2022

सेवा में,

उप सचिव (सम्बद्धता)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
प्रीत विहार दिल्ली-110092

विषय:-विद्यालय की सीधे सीनियर सैकेण्ड्री स्तर की (SS-02664-2223) की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन यह है कि उक्त विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली के पत्रांक मान्यता/16797-98/2014-15 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय को दिनांक 25.03.2015 से 24.03.2018 तक 3 वर्षों की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिये मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात् सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेश पत्रांक म0स0शि0नि0(बे0)/2836-39/2021-22 दिनांक 05.03.2022 द्वारा एस0डी0एस0 (सर्व धर्म समाज) पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र-थानाभवन जनपद-शामली का नाम परिवर्तित कर एस0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र-थानाभवन जनपद-शामली किया गया था। विद्यालय के स्थायीकरण के आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2022 के अनुक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली के आदेश पत्र पत्रांक मान्यता/15714-15/2021-22 दिनांक 21.03.2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी रूप से अनुमन्य की गयी है। जिसे विद्यालय की वेबसाइट <https://sdspublicschool.in/> पर भी अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रमाणित छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में भी प्रस्तुत है।

संलग्नक-1. मान्यता स्थायीकरण पत्र की छायाप्रति।

2. विभाग द्वारा निर्गत मान्यता पत्र की छायाप्रति।

भवदीय।



Manager
MANAGER

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-शामली

पत्रांक:मान्यता/ 15714-15 /2021-22

दिनांक: 21-03-2022

सेवा में,

प्रबन्धक,

एस0डी0एस0 पब्लिक स्कूल,

गढी अब्दुल्ला खान, विकास क्षेत्र-थानाभवन

जिला-शामली।

महोदय,

आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक:मान्यता/16797-98/2014-15 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अग्रेजी माध्यम (विद्यालय मान्यता कोड संख्याक 02) की मान्यता का पत्र निर्गत किया गया था।

आपके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण का आवेदन किया है। आपके आवेदन दिनांक 08.03.2022 के अनुक्रम में आपको अवगत किया जाता है कि शासनादेश संख्या/418/79-6/2013-18 एस (एस)/89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार " प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक रूप से मान्यता तीन वर्षों के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथा संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली की जांच आख्या दिनांक 14.03.2022 के अनुसार उक्त विद्यालय का कोई भी प्रतिकूल तथ्य अद्यतन संज्ञानित नहीं हुआ है। इसलिए उक्त विद्यालय की मान्यता स्थायी रूप से अनुमन्य की जाती है।

अतः उक्तानुसार आपका आवेदन दिनांक 08.03.2022 निस्तारित किया जाता है।

भवदीय।

21.3.22
(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली

पृ0स0- मान्यता/ _____ /2021-22

दिनांक:उक्तवत

प्रतिलिपि:-1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली को उनकी जांच आख्या दिनांक 14.03.2022 के अनुक्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Manager Ali
MANAGER

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)



(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-शामली।

पत्रांक: म०सं०शि०नि०(बे०) / — / 2021-22

दिनांक: 05/03/2022

विषय:-अशासकीय मान्यता प्राप्त एस०डी०एस० (सर्व धर्म समाज) पब्लिक जू०हा० स्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली का नाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र सं०/बे०/9587-88/2021-22 दिनांक 03.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसमें आपने एस०डी०एस० (सर्व धर्म समाज) पब्लिक जू०हा० स्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली का नाम परिवर्तित कर एस०डी०एस० पब्लिक स्कूल गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया है। पत्र के साथ प्रबंध समिति का प्रस्ताव दिनांक 01.03.2022 संलग्नक है। नाम परिवर्तन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली द्वारा दी गयी संस्तुति उपरान्त सचिव उ०प्र०बे०शि० परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प०/सामान्य(5)/24445-532/94-95 दिनांक 23.05.1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एस०डी०एस० (सर्व धर्म समाज) पब्लिक जू०हा० स्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली का नाम परिवर्तन कर एस०डी०एस० पब्लिक स्कूल गढ़ी अब्दुल्ला खान विकास क्षेत्र थानाभवन जनपद-शामली किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि भविष्य में पुनः वर्तमान नाम पर उक्त विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा न ही विद्यालय का स्थान परिवर्तन किया जायेगा। तथा विद्यालयतंत्र द्वारा मान्यता की नवीन शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

भवदीय।

(योगराज सिंह)

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

प०सं०:म०सं०शि०नि०(बे०) / 2836-39/2021-22 दिनांक:उक्तवत।

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।

2. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासक्षेत्र थानाभवन शामली।

3. प्रबंधक, एस०डी०एस० पब्लिक स्कूल, गढ़ी अब्दुल्ला खान, जनपद-शामली।

Y. Singh
05/03/22
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

Wasar Ali
MANAGER
S.D.S (SARV DHARM SAMAJ) PUBLIC SCHOOL
GARHI ABDULLA KHAN, (SHAMLI)



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

एस.डी.एस.(सर्वधर्म समाज) पब्लिक जू0हा0 स्कूल, गढी अब्दुल्ला खां,
विकास क्षेत्र ~~ऊन~~, थानाभवन
जनपद शामली।

पत्रांक/मान्यता/16797-98 /2014-15

दिनांक :-25-03-15

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं एस.डी.एस.(सर्वधर्म समाज) पब्लिक जू0हा0 स्कूल, गढी अब्दुल्ला खां, विकास क्षेत्र ऊन, जनपद शामली को तारीख 25.03.2015 से तारीख 24.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 के लिए अनंतिम मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

Waseem Akh
MANAGER

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

PRINCIPAL

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

➤ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-	3736 वर्ग मी०
➤ कुल निर्मित क्षेत्र	-	6400 वर्ग मी०
➤ क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	-	885 वर्ग मी०
➤ कक्षाओं की संख्या	-	नर्सरी से 8 तक
➤ प्रध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष	-	उपलब्ध है
➤ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-	है
➤ पेयजल सुविधा	-	उपलब्ध है
➤ मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई	-	नहीं है
➤ बाधारहित पहुँच	-	है
➤ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	-	है

Waseer An
MANAGER
S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

PRINCIPAL
S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ०२ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा-कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

शामली

पृ0सं0 / मान्यता / / 2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद शामली।
3. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

Wasal Ah
MANAGER

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)

PRINCIPAL

S.D.S. PUBLIC SCHOOL
GARHI ABUDLLA KHAN (SHAMLI)